

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.-1062 / 2012)

(संस्थित दिनांक :-31.12.12)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

गोहद जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

संजय पुत्र कृपाराम शर्मा उम्र 32 साल

निवासी मानिकपुरा थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0 अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 04.10.16 को घोषित)

अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा 279 एवं 304 ए के अन्तर्गत आरोप हैं कि उसने दिनांक 19.12.12 को सुबह 8:30 बजे ग्राम भगवासा व धमसा जाने वाली रोड सार्वजनिक मार्ग पर अपने मैजिक वाहन क्रमांक एम0पी0-36 टी-0245 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा मृतक पूरनसिंह की साईकिल में टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 19.12.12 को सुबह दस बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पूरन पुत्र देवाराम आयु 14 वर्ष निवासी ग्राम भगवासा को मृत अवस्था में लाया गया जिसकी सूचना डा0 धीरज गुप्ता द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद को दी जिसके आधार पर मार्ग क्र0 44/12 पंजीबद्ध किया गया। मार्ग जांच दौरान कथन लिए गए, मृतक का शव परीक्षण कराया गया, अपराध धारा 304 ए भादवि0 के अधीन दण्डनीय होने से अप0क्र0-287/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। कथनों के अनुसार दिनांक 19.12.12 को सुबह करीब 8 बजे मृतक पूरन और उसके साथ राधेश्याम कड़ेरे अपने गांव भगवासा से ग्राम चंदहारा आटा उठाने जा रहे थे। धमसा मेढ पर पहुंचे वहां सफेद रंग की मैजिक गाडी जो रोजाना सरस्वती शिशु विद्यालय गोहद में बच्चों को ले जाती थी, उसका चालक अभियुक्त उक्त मैजिक गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और पूरन उर्फ आकाश में टक्कर मार दी जिससे साईकिल टूट गई और टक्कर के कारण आई चोटों से उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त से वाहन टाटा

मैजिक एम0पी0-36 टी0-0245 जब्त किया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

03. आरोपी को पद क्र0 1 अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। दफ़्त की धारा 313 के अधीन कथनि में स्वयं के निर्दोष होने तथा चुनाव की दुश्मनी के कारण साक्षियों के असत्य कथन किए जाने तथा उसकी गाडी नाहरसिंह नाम के व्यक्ति द्वारा चलाए जाने का कथन किया है।

04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.12.12 को सुबह 8:30 बजे ग्राम भगवासा व धमसा जाने वाली रोड सार्वजनिक मार्ग पर अपने मैजिक वाहन क्रमांक एम0पी0-36 टी-0245 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या मृतक पूरनसिंह की मृत्यु दिनांक 19.12.12 को सुबह करीब 8:30 बजे वाहन दुर्घटना से कारित हुई थी ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उक्त रीति से चलाकर मृतक पूरनसिंह की साईकिल में टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?

सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा0 धीरज गुप्ता, अ.सा.01, श्रीमती शांतिबाई अ0सा0 2, देवाराम अ0सा0 3, आर0एस0 कुशवाह अ0सा0 4, धनसिंह अ0सा0 5, रामस्वरूप अ0सा0 6, रामकरन शर्मा अ0सा0 7, एन0सी0 यादव अ0सा0 8 व राधेश्याम अ0सा0 9 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष //

06. डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 19.12.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को एक बालक पूरन पुत्र देवाराम आयु 14 साल निवासी भगवासा को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था जिसकी सूचना थाना प्रभारी गोहद को प्र0पी0 1 की दी गयी थी। उक्त सूचना प्र0पी0 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। शांतिबाई अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि घटना वर्ष 2012 की सर्दियों के सुबह 8:30-9 बजे की है। वे अपने गांव भगवासा से बाजार के लिए आ रही थी, उनका पुत्र पूरन उर्फ आकाश आटा पिसाने के लिए चंदहारा जा रहा था

जिसके साथ राधेश्याम था। अभियुक्त की गाड़ी से स्पीड में लाकर पूरन की साईकिल में टक्कर मार देने के संबंध में कथन करती है। यह भी कथन करती हैं कि उन्हें मृतक अस्पताल में मिला था और मृत्यु हो जाने से उन्होंने सेना पीटना शुरू कर दिया।

07. देवाराम अ0सा0 3 भी यही कथन करते हैं कि चार वर्ष पूर्व सर्दियों के मौसम में पूरन उर्फ आकाश की मृत्यु एकसीडेंट में हो गयी थी। धनसिंह अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि 3-4 साल पहले सुबह के समय की घटना है पूरन आटा लेने के लिए साईकिल से चंदहारा गया था उसके बाद अजय ऋषिश्वर ने बताया था कि देवाराम का लडका पूरन खत्म हो गया है। अस्पताल में मृत्यु जांच हेतु उपस्थिति का आवेदन प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग तथा नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 4 पर ए से ए भाग पर एवं लाश सुपुर्दगी रसीद प्र0पी0 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। रामस्वरूप प्र0पी0 3 व 4 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। राधेश्याम अ0सा0 9 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वह तथा आकाश ग्राम भगवासा से चंदहारा आटा लेने जा रहे थे। भगवासा से थोड़ी दूर पर अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाही से मैजिक गाड़ी से टक्कर मार देने इसके बाद आकाश को टक्कर लगने वे गिरने से चोट आने तथा उसके पश्चात् आकाश की मां को जानकारी दिए जाने का कथन करता है। घटना के पश्चात् अभियुक्त की मैजिक गाड़ी में आकाश को डालकर गोहद अस्पताल लाए जाने का कथन करते हैं।

08. चिकित्सक डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1 दिनांक 19.12.12 को मृतक पूरन उर्फ आकाश का शव परीक्षण किए जाने का कथन करते हुए उसे बाह्य परीक्षण में खरोंच बाएं फंटल साईड में, खरोच दाएं तरफ होंठ के घुमाव पर, खरोंच दाएं हाथ पर, खरोंच बांयी कलाई पर एवं हथेली पर, खरोंच बाएं क्लेवीकल पर तथा खरोंच दाएं पैर के नीचे की ओर पाए जाने का कथन करते हैं। आंतरिक परीक्षण में मृतक का कपाल व मेरूदण्ड, छाती परीक्षण में सामान्य पाए जाने, उदर परीक्षण करने पर लीवर में बांयी ओर कटा हुआ आकार 7 गुणा डेढ गुणा 2 सेमी0 जिसमें से खून निकलकर पूरे पेट में भर गया था, बाकी उदर के सभी भाग सामान्य पाए जाने का कथन करते हैं। चिकित्सक अपने अभिमत में मृतक की मृत्यु हीमरैजिक शॉक से होना संभव होने जो कि लीवर फटने के कारण होने की राय देते हैं। उनके द्वारा किए गए शव परीक्षण से मृत्यु 0 से 6 घण्टे के भीतर की होना बताते हैं। रिपोर्ट प्रपी0 2 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

09. प्रकरण में साक्षीगण द्वारा मृतक पूरन उर्फ आकाश की मृत्यु सडक दुर्घटना में कारित होने की साक्ष्य दी है एवं मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की होने के संबंध में

चिकित्सक द्वारा अपनी राय दी है। प्र0पी0 2 के शव परीक्षण प्रतिवेदन से अभिकथित घटना की अवधि की संपुष्टि हो रही है। अभियुक्त की ओर से चिकित्सक को सुझाव दिया कि व्यक्ति यदि अधिक उंचाई से पेट के बल गिरे तो इस प्रकार की चोट आना संभव है। अभियोजन साक्षियों को यह सुझाव दिया गया कि मृतक पूरन उर्फ आकाश स्वयं ही साईकिल चलाने में गिर गया जिससे उसे उक्त चोट आई। उक्त सुझाव से भी दर्शित है कि अभियुक्त पक्ष की ओर से दिनांक 19.12.12 को अभिकथित समय करीब सुबह 8:30 बजे मृतक पूरन उर्फ आकाश की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप कारित होने के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 19.12.12 को प्रातः करीब 8:30 बजे मृतक पूरन उर्फ आकाश की मृत्यु दुर्घटना में कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचना किया जाना है कि क्या अभिकथित मृत्यु अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपन पूर्ण ढंग से वाहन चलाए जाने के फलस्वरूप कारित हुई थी ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 का निष्कर्ष //

10. प्रकरण में श्रीमती शांति अ0सा0 2 जो कि अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती हैं कि जब मृतक पूरन उर्फ आकाश आटा पिसाने ग्राम चंदहारा जा रहा था तो उसके साथ राधेश्याम था और साक्षी अपने ग्राम भगवासा से बाजार के लिए अकेली आ रही थी। मुख्य परीक्षण में साक्षी ने उसके सामने दुर्घटना कारित होने और दुर्घटना के बाद अभियुक्त द्वारा साईकिल सहित मृतक पूरन को थाने में लाने और बाद में अस्पताल में मिलने का कथन किया है तथा इसके बाद अभियुक्त के गाडी लेकर भाग जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करती है कि उसे घटना की जानकारी एक घण्टे में मिल गयी थी, दुर्घटना की सूचना उसे राधेश्याम ने दी थी और वह राधेश्याम के बताए अनुसार बता रही है, कण्डिका 3 में स्वीकार करती है कि हो सकता है उसने पुलिस कथन प्र0डी0-1 में बताया हो कि वह घर पर थी और राधेश्याम ने घर पर एक्सीडेंट के बारे में बताया था। ऐसे में यह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। यद्यपि अभियुक्त के मृतक पूरन उर्फ आकाश को अस्पताल में छोड़ जाने और वहां से भाग जाने के कथन का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं किया गया है और न ही स्पष्टीकरण लिया गया है। देवाराम अ0सा0 3 अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन करते हैं कि उन्हें घटना की जानकारी राधेश्याम ने दी थी। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि जैसा उसकी भाभी शांति ने उसे बताया था वैसा ही वह कथन कर रहा है। ऐसे में यह साक्षी भी अनुश्रुत साक्षी है जो अभियुक्त के आरोप के संबंध में सुसंगत नहीं हैं।

11. धनसिंह अ0सा0 5, रामस्वरूप अ0सा0 6 भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करते हैं। प्रकरण में प्रमुख साक्षी राधेश्याम अ0सा0 9 है जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे ग्राम भगवासा से आकाश के साथ चंदहारा आटा लेने जा रहे थे। भगवासा से थोड़ी दूर पर स्कूल के पास अभियुक्त संजय शर्मा की गाड़ी बड़ी तेजी व लापरवाही से आ रही थी, गाड़ी टाटा मैजिक जिस पर सरस्वती शिशु मंदिर लिखा था और गाड़ी ने आकाश को टक्कर मार दी जिससे आकाश गिर गया और उसे चोट आई थी। यह भी कथन करता है कि उसने घटना की जानकारी आकाश की मां को दी, वे आई और इसके बाद अभियुक्त संजय शर्मा अपनी मैजिक गाड़ी में डालकर मृतक आकाश को अस्पताल लाया। इस प्रकार से यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त की मैजिक गाड़ी जिस पर सरस्वती शिशु मंदिर लिखा था, के तेजी व लापरवाही से चलाकर अभियुक्त द्वारा टक्कर मार देने के संबंध में कथन किया गया है।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि उसने दुर्घटना के समय गाड़ी को कितनी दूरी पर देखा था तो साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में दुर्घटना के समय उक्त गाड़ी को 5 फीट की दूरी से देखना बताता है किन्तु उसमें कितने लोग बैठे थे यह बताने में अस्मर्थ है। घटनास्थल पर अभिकथित गाड़ी की मौजूदगी के संबंध में स्वयं अभियुक्त की ओर से सुझाव दिया गया है कि जब उसने गाड़ी को देखा तो दूर खड़ी थी और गाड़ी को देखा तब बंद अवस्था में रोड पर खड़ी थी, कण्डिका 4 में यह कथन करता है कि जब दुर्घटना हुई तब मृतक आकाश उससे करीब 5-6 हाथ दूरी पर था। जब साक्षी से पूछा गया कि वह क्या कर रहा था तो साक्षी का कथन है कि उसे टक्कर इसलिए नहीं लगी क्योंकि वह शौच कर रहा था। जब साक्षी से कण्डिका 5 में पूछा गया कि वह झाड़ में बैठा था इसलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था तो साक्षी द्वारा इस सुझाव से इंकार किया गया और जिस समय वह लेटरिन कर रहा था उस समय मृतक आकाश को वहीं पर खड़े होने का कथन करता है। ऐसे में इस साक्षी द्वारा घटना उसके समक्ष होने का सारवान कथन किया है।

13. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राधेश्याम अ0सा0 09 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में स्वीकार किया है कि जब वह लेटरिन धोकर आकाश के पास आया तो उसने गाड़ी का पिछला हिस्सा देखा था आगे का हिस्सा नहीं देखा था और पिछले हिस्से पर स्कूल का नाम नहीं लिखा था ऐसे में अभिकथित वाहन अभियुक्त का ही वाहन था इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में साक्षी द्वारा कण्डिका 7 में यह तथ्य तो स्वीकार किया है कि उसने गाड़ी के पिछले हिस्से को देखा था जिस पर स्कूल का नाम नहीं लिखा

था। साक्षी इस तथ्य का स्पष्टीकरण देता है कि जब वह पढ़ता था तो उसने मैजिक गाड़ी को चलते देखा था इसलिए पता था कि गाड़ी किस स्कूल की है। साक्षी का उक्त कथन स्वाभाविक कथन हैं क्योंकि एक पन्द्रह वर्षीय बालक जो नित्य वाहन को आते जाते देखता है वह उसे आसानी से पहचानने में सक्षम हो सकता है। यद्यपि वह कथित वाहन को सामने से भी न देखे तो भी पहचानने में अस्मर्थ रहा हो, ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। अतः साक्षी के द्वारा घटना में लिफ्ट वाहन को न देख पाने व उसकी अनन्यता के प्रश्न चिन्हित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं हैं।

14. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन चला रहा था इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य नहीं हैं जबकि दफ़्त की धारा 313 में यह बचाव लिया गया है कि उक्त वाहन को नाहरसिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था। प्रकरण में अभिकथित वाहन अभियुक्त के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था इस संबंध में साक्षियों को सुझाव अवश्य दिया गया किन्तु वाहन को घटना के समय नाहरसिंह चला रहा था इस संबंध में कोई भी सुझाव तक अभियोजन साक्षियों को नहीं दिया गया। राधेश्याम अ0सा0 9 को भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि नाहरसिंह नाम का व्यक्ति वाहन को चला रहा था। साथ ही अभियुक्त परीक्षण के पूर्व किसी भी स्तर पर अभियुक्त की ओर से कथित वाहन को नाहरसिंह के चलाए जाने का बचाव नहीं लिया है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य पेश की गयी है। साथ ही यह भी दर्शित है कि अनुसंधान में ऐसा कोई प्रमाणीकरण अभियुक्त ने दिया हो, यह तथ्य भी अभिलेख पर नहीं हैं। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से (तेजी व लापरवाही से) वाहन टाटा मैजिक एम0पी0-36 टी-0245 को भगवासा-धमसा मार्ग पर चलाकर मृतक पूरन उर्फ आकाश का मानव जीवन संकटापन्न कर उसे टक्कर मारी जिसके फलस्वरूप ही मृतक की ऐसी मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती है।

15. अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन मैजिक एम0पी0-36 टी-0245 को चलाकर मृतक पूरन उर्फ आकाश की ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। अतः उसे संहिता की धारा 279 एवं 304 ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

16. अभियुक्त के पूर्व प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

17. अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जावे।

18. अभियुक्त के कृत्य से एक बालक की मृत्यु कारित हुई है और अभियुक्त का अपराध एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण व्यक्ति होने से कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

19. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उनकी परिपक्व आयु एवं मृतक पूरन उर्फ आकाश की असमय दुर्घटना में कारित हुई मृत्यु की वेदना उसकी माता और परिवार से अच्छी कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे में अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के उद्देश्य को विफल कर सकता है। यद्यपि संहिता की धारा 279 का अपराध संहिता की धारा 71 के प्रभाव से धारा 304 ए के अधीन आता है। ऐसे में अभियुक्त को धारा 304 ए के अधीन दण्डित किया जाना है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 304 ए के अधीन एक वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

20— प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति वाहन क्र0 एम0पी0-36 टी-0245 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

21. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

22. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश